



2026:AHC-LKO:17019

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

रिट सी संख्या 1779/2026

मगधू राम

याचिकाकर्ता

बनाम

उ.प्र० राज्य एवं अन्य

प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

:

श्री गौरी शंकर मौर्य

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता

:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता; श्री शोभ नाथ पांडे

न्यायालय संख्या - 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरी शंकर मौर्य, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आशुतोष श्रीवास्तव, तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से वकालतनामा दाखिल करने वाले अधिवक्ता श्री शोभ नाथ पांडे, जिनका वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया गया, को सुना गया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर प्रस्तुत याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2-कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या को 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' (जिसे आगे भरण-पोषण अधिनियम 2007 कहा गया है) की धारा 22 और 'उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण नियमावली, 2014' (जिसे आगे भरण-पोषण नियमावली कहा गया है) के नियम 21 के तहत ग्राम व पोस्ट- नेतवारी चतुरपुर, परगना- पश्चिम रथ, तहसील- बीकापुर, अयोध्या में स्थित याचिकाकर्ता के भूखंड संख्या 102 क जिसका क्षेत्रफल 0.0740 हेक्टेयर है

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पर याचिकाकर्ता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करने के निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देने वाली एक परमादेश रिट की भी मांग की है।

3. रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया गया है कि ग्राम व पोस्ट-नेतवारी चतुरपुर, परगना- पश्चिम रथ, तहसील- बीकापुर, अयोध्या में स्थित भूखंड संख्या 102 क जिसका क्षेत्रफल 0.0740 हेक्टेयर है के राजस्व अभिलेखों में राधे श्याम, राजाराम, सीताराम आदि के नाम सह-खातेदार और अंतरणीय अधिकारों वाले भूमिधर के रूप में दर्ज था। याचिकाकर्ता - मगधू राम और उनकी पत्नी श्रीमती जयकला देवी ने स्वर्गीय शंकर के पुत्र सीताराम और राजाराम द्वारा निष्पादित पंजीकृत बैनामे दिनांक 04.07.2005 के माध्यम से उपर्युक्त भूखंड संख्या 102 का में से 40 फीट X 40 फीट क्षेत्रफल का एक भूखंड खरीदा था। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं तर्क दिया है कि भूखंड संख्या 102 क "राधे श्याम, राजाराम, सीताराम आदि" के नाम दर्ज था और राजाराम तथा सीताराम को छोड़कर, अन्य सह-खातेदारों और सह-किसानों ने याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के पक्ष में बैनामा निष्पादित नहीं किया था।

4. यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी ने अपने 27 फीट X 40 फीट क्षेत्रफल के भूखंड के हिस्से के संबंध में राम सूरत की पत्नी फूलकला के पक्ष में दिनांक 04.03.2013 को एक बैनामा निष्पादित किया था और शेष 13 फीट X 40 फीट का क्षेत्रफल याचिकाकर्ता के कब्जे में रहा था। प्रतिवादी संख्या 6 श्री चंद्रभान मिश्रा ने भी भूखंड संख्या 102 क का कुछ हिस्सा खरीदा है, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा खरीदा गया हिस्सा याचिकाकर्ता की संपत्ति से सटा हुआ नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 6 उस 13 फीट X 40 फीट के क्षेत्रफल को हड़पने की कोशिश कर रहा है, जो भूखंड संख्या 102 क का एक हिस्सा है और जो याचिकाकर्ता के कब्जे में है।

5. याचिकाकर्ता ने उप-खण्ड अधिकारी, बीकापुर, अयोध्या के समक्ष दिनांक 28.01.2026 को एक आवेदन प्रस्तुत कर उनसे प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 और 165 के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह उ.प्र. भरण-पोषण अधिनियम, 2007 की धारा 22 और भरण-पोषण नियमावली के नियम 21 के तहत याचिकाकर्ता की संपत्ति की सुरक्षा करे। उन्होंने भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 के तहत याचिकाकर्ता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या को निर्देश जारी करने की मांग की है।

7. उप-जिलाधिकारी, बीकापुर, अयोध्या द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि गाटा संख्या 102 का एक साझा नंबर है और याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के नाम उसी गाटा नंबर के अलग-अलग हिस्सों पर दर्ज हैं। जमीन के बंटवारे के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 30 (2) के तहत एक आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में, उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत एक पुनरीक्षण, जिसका कंप्यूटरीकृत नंबर C202504000000332 है, अपर आयुक्त (प्रशासन), अयोध्या मंडल, अयोध्या के समक्ष लंबित है और पुनरीक्षण में अगली नियत तिथि 10.04.2026 है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इलाहाबाद स्थित इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा **गुलाब कली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य** शीर्षक वाली रिट सी संख्या 1371 सन 2026 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 पर भरोसा जताया है।

9. उपर्युक्त आदेश दिनांक 28.01.2026 में, न्यायालय ने केवल विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दर्ज किया है और उसके बाद राज्य को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था तथा मामले की सुनवाई 12.02.2026 के लिए तय की थी। 12.02.2026 को या उसके बाद हुई कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता 12.02.2026 को या उसके बाद पारित आदेश के संबंध में अनभिज्ञता दर्शाते हैं।

10. भरण-पोषण अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है: -

"भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों ने बुजुर्गों की देखभाल पर बल दिया। हालांकि, संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के कारण, बड़ी संख्या में बुजुर्गों की देखभाल उनके

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिवार द्वारा नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप, कई वृद्ध व्यक्ति, विशेषकर विधवा महिलाएं, अब अपने जीवन के अंतिम वर्ष पूरी तरह से अकेले बिताने के लिए मजबूर हैं और भावनात्मक उपेक्षा तथा शारीरिक व वित्तीय सहायता की कमी का सामना कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उम्र बढ़ना एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है और वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल तथा सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि माता-पिता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली और खर्चीली दोनों है। इसलिए, माता-पिता के लिए भरण-पोषण का दावा करने हेतु सरल, सस्ती और त्वरित प्रावधान की आवश्यकता है।

2. यह विधेयक उन व्यक्तियों पर एक बाध्यता डालने का प्रस्ताव करता है जो अपने वृद्ध रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करेंगे कि वे ऐसे वृद्ध रिश्तेदारों का भरण-पोषण करें और जरूरतमंद वृद्ध व्यक्तियों को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रम स्थापित करने का भी प्रावधान करता है।

विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने तथा उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रावधान का भी प्रस्ताव है।

3. इसलिए, यह विधेयक निम्नलिखित का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है:

(क) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकता आधारित भरण-पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना;

(ख) वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना;

(ग) वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त तंत्र को संस्थागत बनाना; और (घ) प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों की स्थापना करना।

4. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।"

11. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह उन बच्चों और अन्य रिश्तेदारों पर एक दायित्व डालता है जो अपने वृद्ध रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में प्राप्त करेंगे, कि वे ऐसे वृद्ध रिश्तेदारों का भरण-पोषण करें। याचिकाकर्ता और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के बीच कोई संबंध नहीं है और उनके बीच एकमात्र संबंध यह है कि दोनों भूखंड संख्या 102 का के अलग-अलग हिस्सों को खरीदने का दावा करते हैं, जिसने उनके बीच एक संपत्ति विवाद को उत्पन्न किया है।

12. संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में, अधिनियम का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त तंत्र को संस्थागत बनाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करना है। उपर्युक्त अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना केवल भरण-पोषण अधिनियम की धारा 4 और 5 द्वारा ही परिकल्पित है, जो बच्चों या रिश्तेदारों से भरण-पोषण का दावा करने के लिए आवेदन का प्रावधान करती है, जो कि यहाँ का मामला नहीं है।

13. भरण-पोषण अधिनियम की धारा 8 प्रावधान करती है कि भरण-पोषण न्यायाधिकरण संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधिकरण अभिवचन दाखिल करने, मुद्दे तय करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाहों की जिरह करने और उसके बाद दलीलें सुनने तथा पक्षकारों के बीच सभी मुद्दों का फैसला करते हुए एक विस्तृत निर्णय देने की विस्तृत प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा। अचल संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे के परस्पर विरोधी दावों का निर्णय संक्षिप्त तरीके से नहीं किया जा सकता है और इसका निर्णय केवल अभिवचन दाखिल करके, मुद्दे तय करके, साक्ष्य प्रस्तुत करके, गवाहों से जिरह करके और उसके बाद दलीलें सुनकर तथा पक्षकारों के बीच सभी मुद्दों का फैसला करते हुए एक विस्तृत निर्णय देकर ही किया जा सकता है। इसलिए, भरण-पोषण अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण अचल संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए नहीं हैं।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 पर भरोसा जताया गया है, वह भरण-पोषण अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आती है, जिसमें "वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा" का प्रावधान शामिल है। अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाली धारा 21 में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार-प्रसार, जागरूकता आदि के कुछ उपायों का उल्लेख है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 इस प्रकार प्रावधान करती है: -

"22. वे प्राधिकरण जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है -

1. राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है और ऐसे कर्तव्य सौंप सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि इस अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए और जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है जो उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, और उन सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस प्रकार प्रदान या सौंपे गए हैं और वे स्थानीय सीमाएं जिनके भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

2. राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना निर्धारित करेगी।"

16. भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 जो प्रावधान करती है वह यह है कि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को कुछ शक्तियां/कर्तव्य प्रदान कर सकती है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली शक्तियों के दायरे में अचल संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन की शक्तियां शामिल नहीं हैं।

17. वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा का विस्तार अचल संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में परस्पर विरोधी दावों का निर्णय करने तक नहीं होगा, जो केवल एक नियमित वाद में एक सक्षम सिविल/राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, जहाँ पक्षकारों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, जो अवसर भरण-पोषण अधिनियम के तहत कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध नहीं होता है।

18. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भरण-पोषण अधिनियम की धारा 27 प्रावधान करती है कि: "किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी मामले के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिस पर इस अधिनियम का कोई प्रावधान लागू होता है और इस अधिनियम के तहत या इसके अधीन की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में किसी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश प्रदान नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रतिबंध केवल उसी मामले के संबंध में है जिस पर भरण-पोषण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। भरण-पोषण अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के तहत गठित अधिकारियों को अचल संपत्तियों के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करना नहीं था, विशेष रूप से तब जब पक्षकार आपस में रिश्तेदार भी नहीं हैं, और ऐसे विवादों का निर्णय केवल नियमित वादों में सक्षम सिविल न्यायालयों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए, भरण-पोषण अधिनियम की धारा 27 अचल संपत्तियों के कब्जे और स्वामित्व के परस्पर विरोधी दावों से संबंधित विवादों का निर्णय करने के लिए सिविल या राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित नहीं करेगी।

19. जब पक्षकारों के बीच संपत्ति का विवाद पहले से ही पुनरीक्षण न्यायालय के विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में भरण-पोषण न्यायाधिकरण का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने के लिए कलेक्टर को कोई निर्देश जारी करने का कोई उचित आधार नहीं है।

20. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, मेरा यह सुविचारित मत है कि याचिका में गुण-दोष का अभाव है और इसे खारिज किया जाता है। पुनरीक्षण संख्या C202504000000332, जो अपर आयुक्त (प्रशासन), अयोध्या के न्यायालय में लंबित बताई गई है, का निर्णय इस याचिका के खारिज होने से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

मार्च 9, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"